

**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpeefdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-13/2016- 639 दिनांक : 13.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी
वन प्रमंडल, हजारीबाग/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन
प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/गढ़वा उत्तरी वन
प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी
प्रमंडल, गढ़वा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में
कार्यान्वित की जाने वाली पुनर्नामित "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण
(पुरानी पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए
विशेष घटक योजना) के अंतर्गत पंचायत भवनों में गैबियन वृक्षारोपण, स्कूल
कॉलेजों एवं सरकारी संस्थानों में बाँस गैबियन वृक्षारोपण, लम्बे पौधों का
वृक्षारोपण एवं लौह गैबियन वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए
कुल रु0 55.434 लाख (पचपन लाख तेंतालीस हजार चार सौ रुपये)
मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-04/यो०बजट-26/2016-14/ स्वी० व०प०
दिनांक 24.06.2016 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-
26/2016-08/आ० व०प० दिनांक 04.04.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के
लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के
अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत प्राप्त आवंटन से कुल रु0 55.434 लाख
(पचपन लाख तेंतालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित
इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789590103	53.511
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789590323	1.923
कुल :-		55.434

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (घ) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601789590103 तथा पी0 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसका प्रमंडलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।



7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाये।

12. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासनायन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-13 / 2016- 639 दिनांक- 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू/ हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-13 / 2016- 639 दिनांक- 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/ कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-13 / 2016- 639 दिनांक- 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/ उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत पंचायत भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता के प्रत्येक पंचायत में 10 बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पंचायत भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता की स्थिति	वित्तीय वर्ष 2017-18		
				भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री
				264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	89	890	2.353	0.085
2	कोडरमा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	83	830	2.194	0.078
3	पलामू	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	102	1020	2.697	0.097
4	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	40	400	1.058	0.038
4	चतरा	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	40	400	1.057	0.038
योग :-			354	3540	9.359	0.336
						9.695

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राज्य।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थानों में बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	v	vi	vii	viii
1	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	1000	2.644	0.093	2.737
2	कोडरमा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	500	1.322	0.048	1.370
3	पलामू	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	1000	2.644	0.094	2.738
4	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	500	1.322	0.048	1.370
5	चतरा	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	500	1.322	0.048	1.370
6	कोडरमा	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	500	1.322	0.048	1.370
7	हजारीबाग	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	500	1.322	0.048	1.370
8	हजारीबाग	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	500	1.322	0.048	1.370
योग :—			5000	13.220	0.475	13.695

अपर प्रधान मुख्य वेज संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत सी0आर0पी0एफ0 / राज्य पुलिस/ मिलीट्री कैम्पस/ अन्य वैसे जगहों पर जहाँ चहारदिवारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो, लम्बे पौधों से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य बाँस गैवियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	v	vi	vii	viii
1	कोडरमा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	500	1.322	0.048	1.370
2	पलामू	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	500	1.322	0.048	1.370
3	गढ़वा	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	500	1.322	0.048	1.370
4	गढ़वा	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	500	1.322	0.048	1.370
5	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	1000	2.644	0.095	2.739
6	चतरा	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	1000	2.644	0.095	2.739
7	हजारीबाग	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	1500	3.965	0.141	4.106
8	हजारीबाग	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	1500	3.965	0.142	4.107
योग :-			7000	18.506	0.665	19.171

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अधिकारी,
झारखण्ड राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” (पुरानी— पथराट रोपण—सह—शहरी वानिकी) योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत लौह गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	लौह गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	vi	v	vi
1	गढवा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढवा	900	2.380	0.086	2.466
2	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	900	2.380	0.086	2.466
3	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	900	2.380	0.086	2.466
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	1000	2.644	0.095	2.739
5	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	500	1.321	0.047	1.368
6	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	500	1.321	0.047	1.368
योग :-		4700	12.426	0.447	12.873


अपर प्रधान मुख्य वन संस्करण, विकास,
झारखण्ड, राँची।

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस–गैबियन का आकार: 6'-6" x 2'-6" x 2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0

– पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी0

क्र० सं0	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे0)	मजदूरी, (रु0)	सामग्री प्रति हे0	कुल व्यय (रु0)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 229.90						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया. 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया. 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	34.49	4.50	38.99	
2	पटवन (रिक्षा / ठेला द्वारा)		0.50	114.95	5.00	119.95	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	114.95	0.00	114.95	
	योग		1.15	264.39	9.50	273.89	



अपर प्रधान मुख्य वन संस्कारिका विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दरपथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बिना घेरान के लम्बे पौधों का वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)


पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी0

2. स्पेसिंग-

पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी0

3. मजदूरी दर- रु0 221.61

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 229.90					
1	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया.5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया.5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति पौधा	0.15	34.49	4.50	38.99
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति पौधा	0.50	114.95	5.00	119.95
3	सुरक्षा	प्रति पौधा	0.50	114.95	0.00	114.95
	योग		1.15	264.39	9.50	273.89



अपर प्रधान मुख्य नैन संपर्क विकास[ा]
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

जीना का नाम— पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा—गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण

1. लोहा गैबियन का आकार: 5'x2'x2'
 2. स्पेसिंग— पंक्ति से पंक्ति की दूरी— 3 मी0
 3. मजदूरी दर— रु0 221.61 पौधे से पौधे की दूरी— 5 मी0

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 229.90						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	34.49	4.50	38.99
2	पटवन (रिक्षा / ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	114.95	5.00	119.95
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	114.95	0.00	114.95
	योग		1.15	264.39	9.50	273.89

अपर प्रधान मुख्यमन्त्री संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-13/2016/639

दिनांक -


13-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789590103	31082	GRHFWL003	499,700.00
2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी				
01 - वानिकी				
789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण				
01 - वेतन एवं भत्ते				
03 - मजदूरी				
State Scheme :				
Central Scheme :				
2	S 19 240601789590103	31083	KDMFORA02	483,800.00
2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी				
01 - वानिकी				
789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण				
01 - वेतन एवं भत्ते				
03 - मजदूरी				
State Scheme :				
Central Scheme :				
3	S 19 240601789590103	31084	PLMFOR070	904,300.00
2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी				
01 - वानिकी				
789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण				
01 - वेतन एवं भत्ते				
03 - मजदूरी				
State Scheme :				
Central Scheme :				
योग:				
क्रमिक योग:				
रुपये अटारह लाख सित्यासी हजार आठ सौ				
 (SHRI SATNAM SINGH)				
ADD: PGP HOSPITAL, RANCHI				
Run Date: 13/5/2017				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी	31085	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	502,400.00 रुपये पॉच लाख दो हजार चार सौ

State Scheme :

Central Scheme :

5	S 19 240601789590103	31086	CTRFOR003	634,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		MADHUKAR	रुपये छ: लाख चौतीस हजार चार सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O. SOUTH DIVN.	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		CHATRA	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			

State Scheme :

Central Scheme :

6	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी	31087	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	370,200.00 रुपये तीन लाख सत्तर हजार दो सौ
---	---	-------	---	--

State Scheme :

Central Scheme :

योगः

३५५

रुपये तैतीस लाख चौराजदे हजार आठ तौ

1,507,000.00

3,394,800.00

ADDIOPARHMANAESAHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789590103	31088	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	793,100.00 रुपये सात लाख तिरनावे हजार एक सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी			
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme :			
	Central Scheme :			
8	S 19 240601789590103	31089	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	528,700.00 रुपये पाँच लाख अठाइस हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी			
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme :			
	Central Scheme :			
9	S 19 240601789590103	31090	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	132,200.00 रुपये एक लाख बत्तीस हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी			
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme :			
	Central Scheme :			
				1,454,000.00
योग:				
क्रमिक योग:	रुपये अडतालीस लाख अडतालीस हजार आठ सौ			4,848,800.00


योग:

क्रमिक योग:

रुपये अडतालीस लाख अडतालीस हजार आठ सौ

ADDI P.S. DEVARAJPUR BHAND

RANCHI



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमतिनिवारक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अशिक्षित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भवे 03 - मजदूरी	31091	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	370,200.00 रुपये तीन लाख सत्तर हजार दो सौ


State Scheme :

Central Scheme :

11	S 19 240601789590103	31092	GRDFOR003	132,100.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI JANARDAN PRASAD	रुपये एक लाख बत्तीस हजार एक
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		KESHRI	सौ
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		D.F.O. GIRIDH WEST	
	01 - वेतन ग्रां भत्ते		FOR. DIV.	
	03 - मजदूरी			

State Scheme :

Central Scheme :

12	S 19 240601789590323	31093	GRHFWL003	17,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHYAM BIHARI PRASAD	रुपये स त्र ह हजार आठ सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	
	59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			

State Scheme :

Central Scheme :

योगः

संक्षिप्त ग्रन्थ

काये हीरात लाख अडसद हजार तौ सौ

520,100.00

5,368,900.00

APPENDIX H (continued)

RANCH

Run Date: 13/5/2017

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	31094	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	17,400.00 रुपये स त्र ह हजार चार सौ


State Scheme :

Central Scheme :

14	S 19 240601789590323	31095	PLMFOR070	32,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी			रुपये बत्तीस हजार पौंच सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
			NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	

State Scheme :

Central Scheme :

15	S 19 240601789590323	31096	CTRFOR002	18,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी		RAVINDRA NATH MISHRA	रुपये अठारह हजार एक सौ
	01 - वानिकी		D.F.O, NORTH DIV.	
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		CHATRA	
	59 - अधिमूलित वन भूमि के वाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			

State Scheme :

Central Scheme :

योगः

कानूनी योगा

ਝੁਪਿਆ ਚੌਪੜ ਲਾਖ ਛੁਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ

68,000.00

5,436,900.00

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, No. 3, June 2005
DOI 10.1215/03616878-30-3 © 2005 by the Southern Political Science Association

BANCH

Page 5 of 8

Run Date: 13/5/2017

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789590323	31097	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	22,800.00 रुपये बाइस हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
17	S 19 240601789590323	31098	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	13,400.00 रुपये तेरह हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
18	S 19 240601789590323	31099	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	28,400.00 रुपये अठाइस हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
योगः				64,600.00
क्रमिक योगः	रुपये पचपन लाख एक हजार पाँच सौ			5,501,500.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	31100	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	19,000.00
20	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी नशा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	31101	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	4,800.00
21	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	31102	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	13,400.00
योग: 37,200.00				
क्रमिक योग: 5,538,700.00				

योग:

क्रमिक योग:

रुपये पचपन लाख अडलीस हजार सात सौ

5,538,700.00

ADDI.P.D.P. DEVARAJ SHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	31103	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	4,700.00 रुपये चार हजार सात सौ

State Scheme :

Central Scheme :

योग:

4,700.00

क्रमिक योग:

रुपये पचपन लाख तीरयालीस हजार चार सौ

5,543,400.00

ADDI.PD.PD.DEVANARAYAN.RHAND

13/5/2017
RANCHI